न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.प्र.) बारां जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकश कुमार शर्मा (RJS–DJ CADRE)**

आपराधिक निगरानी संख्याः– 06/2025

सी.आई.एस. नंबरः– 06/2025

सी.एन.आर नंबरः– RJBR050007682025

अशोक कुमार पुत्र रामकिशन, उम्र–45 वर्ष, निवासी–ग्राम बटावदा, थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.)

–निगराकार/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये लोक अभियोजक बारां, जिला–बारां(राज.)

–गैरनिगराकार/अप्रार्थी

निगरानी विरूद्ध आदेश **दिनांकित 08.10.2025**, जो श्री अनिल पारवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, जिला–बारां द्वारा **एफ.आई.आर. नंबर 150/2025**, पुलिस थाना सदर बारां, बउनवान सरकार बनाम अशोक कुमार में पारित किया गया।

उपस्थितः–
1– विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मीणा –निगराकार की ओर से।
2– विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से।

–निर्णय– **दिनांकः– 10.03.2026**

1– विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां के आदेश दिनांक 08.10.2025 से व्यथित होकर निगराकार की ओर से यह निगरानी याचिका दिनांक 05.12.2025 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां के यहाँ पेश की, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां के आदेश दिनांक 16.12.2025 की पालना में इस न्यायालय को अन्तरित होकर दिनांक 16.12.2025 को प्राप्त हुई, जिस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश दिये गये।

2– निगरानी से संबंधित संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.06.2025 को परिवादी राजेन्द्रप्रसाद द्वारा केम्प एम.बी.एस. अस्पताल कोटा में श्री रमेशचंद हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना सदर बारां को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका लड़का विशाल बारां में गुडविल कम्पनी देगनीया के

पास पुलिया का काम चल रहा है, उस पर 3–4 महीने से काम कर रहा था। दिनांक 16.06.2025 को विशाल गांव गुड़ला खेड़ली आ रहा था। बारां से रवाना होकर SKG प्लांट के पास आ रहा था। सामने से एक मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 28 SF 3974 आयी, जिसके चालक ने लापरवाही से चलाकर विशाल की मोटरसाईकिल RJ 20 BJ 9161 के टक्कर मारी, जिससे विशाल नीचे गिर गया, जिससे सिर में चोट लग गयी व मोटरसाईकिल भी डेमेज हो गयी। विशाल को 108 एम्बूलेंस से ईलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय बारां ले गये, जहां से डॉक्टर ने इलाज हेतु कोटा रैफर कर दिया। विशाल का इलाज सुधा हॉस्पीटल कोटा में चल रहा था, जिसकी कल दिनांक 25.06.2025 को शाम 05 बजे इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी,.... इत्यादि।

3– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2025 अंतर्गत धारा 281, 106(1) भारतीय न्याय संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया और बाद अनुसंधान अभियुक्त अशोक कुमार के विरुद्ध धारा **281, 106 (01) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/181, 146/196 मोटर वाहन अधिनियम** का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र संबंधित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4– तत्पश्चात् निगराकार के अधिवक्ता द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 193 (9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते लौटाने आरोप पत्र और निष्पक्ष अनुसंधान हेतु पेश किया। जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 08.10.2025 से अस्वीकार कर खारिज किया गया है और प्रकरण में निगराकार के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर धारा **281, 106 (01) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/181, 146/196 मोटर वाहन अधिनियम** के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये एवं पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गयी है, जिससे व्यथित होकर निगराकार की ओर से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

5– बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह हैं किः–

"आया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक

08.10.2025 शुद्ध, विधिपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं?"

7– उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में निगराकार के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौराने बहस तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2025 पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी से मिल कर तथा मृतक के परिजनों को बीमा क्लेम दिलाने के उद्देश्य से निगराकार की मोटरसाईकल को प्रकरण में लिप्त होना बताया है। जबकि निगराकार की मोटरसाईकिल से उक्त दुर्घटना कारित नहीं हुई है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस पर भी निगराकार को सही तथ्यों की जानकारी दिये बिना और वाहन के बारे में जानकारी दिये बिना गलत तरीके से हस्ताक्षर करवा लिये हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा दुर्घटना के संबंध में किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये हैं। निगराकार ने जिन व्यक्तियों का मौके पर उपस्थित होना बताया है। उनको अन्वेषण अधिकारी ने गवाह नहीं बना कर परिवादी के परीचित व्यक्तियों को गवाह बनाया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर समुचित विचार किये बिना जल्दबाजी में प्रार्थना पत्र को सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। निगराकार प्रकरण में निष्पक्ष अनुसंधान कराने का अधिकारी है। अतः योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2025 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में पुनः अनुसंधान करने के निर्देश दिये जावें या अधीनस्थ न्यायालय को उचित आदेश पारित करने बाबत् आदेशित किया जावे।

8– इसके विपरीत विशिष्ठ लोक अभियोजक/गैरनिगराकार की ओर से दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के उपरांत निगराकार की मोटरसाईकिल को घटना में लिप्त होना माना है और इसी आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 08.10.2025 पारित किया गया है वह पूर्णतः विधि अनुरूप है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है। निगराकार ने अपने विधिक दायित्वों से बचने के लिए यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः यह निगरानी याचिका खारिज की जावे।

9– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकार का मुख्य रूप से यह आधार रहा है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस में वाहन वगैरह का उल्लेख किये बिना गलत तरीके से उसके हस्ताक्षर कराये हैं, किंतु इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि निगराकार को जो नोटिस दिनांक 19.08.2025 अंतर्गत धारा 133 एम.वी.एक्ट दिया

गया था, उसमें मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 28 एस.एफ. 3974 के पंजीकृत स्वामी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए दिनांक 16.06.2025 की घटना के समय वाहन चालक की जानकारी चाही गयी थी। उक्त नोटिस पर निगराकार की ओर से यह पृष्ठांकन किया जाना प्रकट हो रहा है कि मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 28 एस.एफ. 3974 का वह मालिक है। दिनांक 16.06.2025 को सुबह 10.00 बजे करीब S.K.G. के सामने अन्य मोटरसाईकिल आर.जे. 20 बी.जे. 9161 से टकरा गयी थी। इस प्रकार धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस को देखने से प्रथम दृष्टया यह प्रकट नहीं हो रहा है कि निगराकार/अभियुक्त को दुर्घटना या वाहन की जानकारी उपलब्ध कराये बिना ही उक्त नोटिस पर उसके हस्ताक्षर करवाये हों।

10– परिवादी राजेन्द्र द्वारा जो लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उसमें दिनांक 16.06.2025 को S.K.G. प्लांट के पास ही दुर्घटना होना और उसके पुत्र विशाल की मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 20 बी.जे. 9161 को, मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 28 एस.एफ. 3974 द्वारा लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मारना बताया है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान गवाहान कमलप्रकाश, प्रेमचंद के बयान लेखबद्ध किये गये हैं, जिन्होंने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में वाहन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 28 एस.एफ. 3974 से ही दुर्घटना होना बताया है। गवाह अंकित ने भी अपने धारा 180 बी.एन.एस.ए. के बयानों में यह बताया है कि जब वह मृतक विशाल की मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 20 बी.जे. 9161 लेने गया तो दुर्घटना करने वाली मोटरसाईकिल आर.जे. 28 एस.एफ. 3974 का चालक, वहां पर अपनी मोटरसाईकिल लेकर आया और उससे अपनी मोटरसाईकिल में टूट–फूट सही करवाने के पैसे मांगना बताया है। इस प्रकार अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रकरण में गवाहान के बयान तथा अन्वेषण के आधार पर निगराकार की मोटरसाईकिल को प्रकरण में लिप्त होना माना है।

11– जहां तक निगराकार/अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा जिन गवाहान के बयान लेखबद्ध किये हैं, वे परिवादी से हितबद्ध हैं। इस संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि निगराकार अभियुक्त को प्रकरण के विचारण के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। इस स्टेज पर जहां अन्वेषण अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान व अन्य साक्ष्य के आधार पर निगराकार की मोटरसाईकिल को घटना में लिप्त होना माना है तो यह प्रकट नहीं हो रहा है कि प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान या पुनः अनुसंधान करने की आवश्यकता हो।

12– अतः उक्त विवेचन के अनुसार योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली

पर उपलब्ध सामग्री का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश दिनांक 08.10.2025 पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धता या अनौचित्यता होना दर्शित नहीं हो रहा है। अतः योग्य विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 08.10.2025 पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.10.2025 पुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है तथा निगराकार की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–आदेश–

13– अतः निगराकार अशोक कुमार की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है और योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2025 को पुष्ट किया जाता है। उक्त आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाए।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां(राज०)

14– आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां(राज०)